पत्रांक : 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017/ 92(अ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

**पंचायती राज विभाग**

प्रेषक,

**नजर हुसैन,**
अपर सचिव

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार (खगड़िया एवं गया जी को छोड़कर)।

पटना, दिनांक 26/2/26

**विषय : वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 79(स्वी०) दिनांक 10.02.2026 द्वारा स्वीकृत कुल ₹1,55,12,000.00 (एक करोड़ पचपन लाख बारह हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश 79(स्वी०) दिनांक 10.02.2026 द्वारा वैसे ग्राम कचहरी जिन्हें अपना भवन नहीं है, को प्रतिमाह अधिकतम ₹1,000.00 (एक हजार रूपये) मात्र की दर से आठ माह (जुलाई, 2025 से फरवरी, 2026 तक) का भवन किराया हेतु उक्त स्वीकृत्यादेश संख्या के साथ संलग्न विवरणी अनुलग्नक–1 के अनुसार कुल ₹1,55,12,000.00 (एक करोड़ पचपन लाख बारह हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹1,55,12,000.00 (एक करोड़ पचपन लाख बारह हजार रूपये) मात्र की राशि जिलावार निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :–

राशि रूपये में

| क्र० | जिला का नाम | आवंटित राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | अररिया | 40000.00 |
| 2 | अरवल | 288000.00 |
| 3 | भागलपुर | 264000.00 |
| 4 | दरभंगा | 1016000.00 |
| 5 | पूर्वी चम्पारण | 1336000.00 |
| 6 | गोपालगंज | 152000.00 |
| 7 | जमुई | 544000.00 |
| 8 | जहानाबाद | 232000.00 |
| 9 | कटिहार | 120000.00 |
| 10 | किशनगंज | 144000.00 |
| 11 | मधेपुरा | 280000.00 |

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2025-26\State Scheme\P 2515008000112\Letter.doc

| | | |
|---|---|---|
| 12 | मधुबनी | 784000.00 |
| 13 | मूंगेर | 112000.00 |
| 14 | मुजफ्फरपुर | 384000.00 |
| 15 | नवादा | 648000.00 |
| 16 | पटना | 1168000.00 |
| 17 | पूर्णिया | 344000.00 |
| 18 | रोहतास | 96000.00 |
| 19 | सहरसा | 248000.00 |
| 20 | समस्तीपुर | 760000.00 |
| 21 | शेखपुरा | 96000.00 |
| 22 | शिवहर | 264000.00 |
| 23 | सीतामढ़ी | 232000.00 |
| 24 | सिवान | 656000.00 |
| 25 | पश्चिम चम्पारण | 552000.00 |
| 26 | सारण | 400000.00 |
| 27 | नालन्दा | 848000.00 |
| 28 | बेगूसराय | 152000.00 |
| 29 | बांका | 72000.00 |
| 30 | औरंगाबाद | 504000.00 |
| 31 | सुपौल | 40000.00 |
| 32 | लखीसराय | 256000.00 |
| 33 | बक्सर | 176000.00 |
| 34 | कैमुर | 224000.00 |
| 35 | वैशाली | 992000.00 |
| 36 | भोजपुर | 1088000.00 |
| **कुल** | | **15512000.00** |

**एक करोड़ पचपन लाख बारह हजार रूपये मात्र**

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 227 दिनांक 28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय–उपशीर्ष–0112–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" मद के विषय शीर्ष "0112.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन" इकाई से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515008000112 है।

5. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे। जो सभी ग्राम कचहरी के बैंक खाता में सीधे



Adit

CFMS के माध्यम से राशि अंतरित करेंगे। राशि का भुगतान ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। ग्राम कचहरी द्वारा राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा समेकित रूप से आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार विभाग के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय, बिहार में समायोजन हेतु उपलब्ध करायेंगे।

6. वैसे ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी जहां पंचायत सरकार भवन या ग्राम पंचायत भवन या समुदायिक भवन उपलब्ध है, तो वैसे ग्राम कचहरियों को भवन किराया का भुगतान नहीं किया जाना है। ग्राम कचहरी भवन किराया राशि का उपयोग पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017 के पृष्ठ संख्या 126/टि० पर दिनांक 24/02/2026 .....को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2025-26\State Scheme\P 2515008000112\Letter.docx

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017/92(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 26/2/26

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी प्रमडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी 04 एवं 07 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/26

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–14/2017/92(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 26/2/26

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/2/26

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

Aditi